राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों की यात्री सीट के पीछे (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) विज्ञापन हेतु ई–बोली.

क्रमांकः–एफ146–III / मु0 / प्रशा / वि.के. / 2019 / 561   दिनांकः– 14.8.19

ई–बोली सूचना संख्या 03 /2019–20

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों की यात्री सीट के पीछे (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) विज्ञापन हेतु ई–बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन बोली आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण बेवसाइट **www.rsrtc.rajasthan.govt.in** व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखें ।

इस बोली से संबधी विवरण निम्नानुसार हैः–

क. सं.	बोली संबंधी विवरण	दिनांक एंव समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	16.08.19
2	बोली प्रपत्र शुल्क (Financial Advisor RSRTC को देय) payable at Jaipur	400 / –
3	धरोहर राशि (Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur)	3,50,000 / –
4	बोली प्रोसेसिगं शुल्क MD RISL Jaipur को देय	1,000 / –
5	बोली प्रपत्रों हेतु आवेदन / डाउनलोड करने की अवधि	16.08.19से 05.09.19 प्रातः 11:00 बजे तक
6	बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक (तकनीकी बोली)	05.09.19 सांय 15:30 बजे

नोटः–

1. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी एंव इस कार्य हेतु न्यूनतम आरक्षित दर 20 / – + जीएसटी अतिरिक्त प्रतिबस प्रतिमाह होगी।
2. बोली खोलने की तिथी को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलियां खोली जाएगी।
3. बोली दाता निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों के यात्री सीट के पीछे विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई–बोली के माध्यम से बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

Scanned by CamScanner

4. बोली प्रपत्र को डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली शुल्क 400/- रूपये एंव धरोहर राशि 3,50,000/- रूपये की डी डी संख्या दिनांक एंव बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित कर संलग्न करनी होगी।
5. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिगं शुल्क/धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 05.9.19 को सांय 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
6. कोई भी बोली इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. बोली में भाग लेने वाले बोली दाताओं को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
8. बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क एंव धरोहर राशि Financial Advisor RSRTC Payable at Jaipur की डी डी द्वारा जमा करानी होगी। बोली प्रोसेसिगं शुल्क MD RISL Jaipur के नाम डी डी देय होगी। यदि बोलीदाता द्वारा दिनांक 05.09.19 को 15.00 बजे तक उक्त डी डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
9. बोली दाताओं को बोली प्रपत्र इलेट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाऐगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
10. इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
11. ऑनलाइन बोली निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेगी।
12. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावें।

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

Scanned by CamScanner

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एव द्रुतगामी वाहनों जिनमें निगम द्वारा अनुबंधित वाहनें भी शामिल है, की यात्री सीट के पीछे विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई–बोली:–

ई–तकनीकी बोली–प्रपत्र

बोली प्रपत्र संख्याः–एफ 146–III/मुख्या/विके/19/561 दिनांक 14.8.19

बोली प्रपत्र की राशि जमा रूपये 400/– (अक्षरे रूपये चार सौ मात्र)
डी.डी. सं0........................दिनांक.............

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पताः– ——————————————————
——————————————————
——————————————————

2. टेलीफोन नम्बर/मो0:– ——————————————————
कार्यालयः– ——————————————————
निवासः– ——————————————————

3. टेलेक्स नं0:– ——————————————————

4. धरोहर राशिः– रूपये————————अक्षरे—————

5. ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या व दिनांक ——————————————————

6. फर्म/कम्पनी का नाम एवं पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.————————————

7. बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस. संख्या————————————
————————————

8. बोली दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करें।

9. बोली प्रपत्र के अनुसार संलग्न दस्तावेजों की संख्या एवं विवरण।

पूरा नामः–
हैसियतः– मालिक/पार्टनर
पूर्ण पताः–

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय

परिवहन मार्ग, जयपुर।

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एव द्रुतगामी वाहनों जिनमें निगम द्वारा अनुबंधित वाहनें भी शामिल है, की यात्री सीट के पीछे विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई–बोलीः–

ई–वित्तीय बोली–प्रपत्र

बोली प्रपत्र संख्याः–एफ–146–III/मुख्या/विके/19/561 दिनांक 14.8.19

बोली प्रपत्र की राषि जमा रूपये 400/– (अक्षरे रूपये चार सौ मात्र)
डी.डी. सं0........................दिनांक.............

1. फर्म/व्यक्ति का नाम व पूर्ण पता ———————————————————
———————————————————
———————————————————

2. टेलीफोन नम्बर/मो0ः– ———————————————————
कार्यालयः– ———————————————————
निवासः– ———————————————————
3. टेलेक्स नं0ः– ———————————————————

4. धरोहर राशिः– रूपये——————————अक्षरे————————

5. ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या व दिनांक ———————————————————
6. देय लाइसेंस राशि रूपये प्रतिमाह ———————————————————
अक्षरे———————————————————

7. फर्म/कम्पनी का नाम एवं पूरा पता एवं रजिस्ट्रेशन नं.——————————————

8. बैंक का नाम, खाता संख्या, ब्रांच, आई.एफ.एस. संख्या——————————————
———————————————————
9. बोली दाता की चल/अचल संपत्ति का विवरण सत्य प्रति सहित संलग्न करें।

पूरा नामः–
हैसियतः– मालिक/पार्टनर
पूर्ण पताः–

<u>घोषणा–पत्र</u>

<u>बोली दाता द्वारा इस घोषणा पत्र को भरकर डीजीटल हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।</u>

1. मैं/हम डी.डी./बैंकर्स चैक नम्बर——————————दिनांक————————————राषि रूपये—————————————————अक्षरे————————————————————————जो कि वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के नाम देय है संलग्न कर रहे है/कर दिया है।

2. मैं/हमने निगम की समस्त षर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ लिया/सुन लिया है तथा इन सभी षर्तों की पालना का वचन देता हूॅ/देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं/हम निगम के साथ दिये गये प्रारूप आधार पर अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगा/देंगे।

3. मैं/हम घोषणा करता/करते हैं/हूॅ कि मैनें/हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्था को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति/संस्था की तरफ से नहीं दिये गये है।

4. मैं/हम वचन देता/देते है कि मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत यह प्रस्ताव चार माह की अवधि तक लागू रहेगा।

दिनांकः–

हस्ताक्षर–बोलीदाता

मय पद/हैसियत व मोहर सहित

<u>राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय</u>

<u>परिवहन मार्ग, जयपुर।</u>

<u>निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों की यात्री सीट के पीछे</u> (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) **<u>विज्ञापन हेतु ई–बोली</u>**

क्रमांकः–एफ146–III/मु0/प्रशा/वि.के./2019/561 दिनांकः–14.8.19

<u>ई–बोली सूचना संख्या 03 /2019–20</u>

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एवं द्रुतगामी वाहनों की यात्री सीट के पीछे (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) विज्ञापन हेतु ई–बोली के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ऑन लाइन बोली आमंत्रित की जाती है। बोली से संबंधित विवरण बेवसाइट **www.rsrtc.rajasthan.govt.in** व **http://eproc.rajasthan.gov.in** पर देखें ।

इस बोली से संबधी विवरण निम्नानुसार हैः–

क. सं.	बोली संबंधी विवरण	दिनांक एंव समय
1	बोली सूचना जारी होने की तिथि	16.08.19
2	बोली प्रपत्र शुल्क (Financial Advisor RSRTC को देय) payable at Jaipur	400/–
3	धरोहर राशि (Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur)	3,50,000/–
4	बोली प्रोसेसिगं शुल्क MD RISL Jaipur को देय	1,000/–
5	बोली प्रपत्रों हेतु आवेदन/डाउनलोड करने की अवधि	16.08.19से 05.09.19 प्रातः 11:00 बजे तक
6	बोली प्रस्ताव खोले जाने की दिनांक (तकनीकी बोली)	05.09.19 सांय 15:30 बजे

नोटः–

1. बोली की समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन होगी एंव इस कार्य हेतु न्यूनतम आरक्षित दर 20/– + जीएसटी अतिरिक्त प्रतिबस प्रतिमाह होगी।
2. बोली खोलने की तिथी को किसी कारणवश कोई अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय बोलियां खोली जाएगी।
3. बोली दाता निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों के यात्री सीट के पीछे विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु ई–बोली के माध्यम से बोली प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

4. बोली प्रपत्र को डाउनलोड/आवेदन करते समय बोली शुल्क 400/– रूपये एंव धरोहर राशि 3,50,000/– रूपये की डी डी संख्या दिनांक एंव बैंक का नाम व ब्रांच का विवरण अंकित कर संलग्न करनी होगी।
5. बोली दाता द्वारा बोली शुल्क/प्रोसेसिगं शुल्क/धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट इस कार्यालय में दिनांक 05.9.19 को सांय 15.00 बजे तक जमा कराना आवश्यक है।
6. कोई भी बोली इलेक्ट्रोनिकली जमा कराने में किसी कारणवश लेट होता है तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. बोली में भाग लेने वाले बोली दाताओं को इन्टरनेट साइट http://eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर करवाना होगा। ऑन लाइन बोली में भाग लेने के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा जो इलेक्ट्रोनिक बोली में साइन करने हेतु काम आयेगा। बोली दाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी सी ए (C.C.A.) द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन बोलीदाताओं के पास वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनको नया डिजिटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
8. बोलीदाता द्वारा बोली शुल्क एंव धरोहर राशि Financial Advisor RSRTC Payable at Jaipur की डी डी द्वारा जमा करानी होगी। बोली प्रोसेसिगं शुल्क MD RISL Jaipur के नाम डी डी देय होगी। यदि बोलीदाता द्वारा दिनांक 05.09.19 को 15.00 बजे तक उक्त डी डी प्रस्तुत नहीं की जाती है तो प्रस्ताव मान्य नहीं होगा।
9. बोली दाताओं को बोली प्रपत्र इलेट्रोनिक फोरमेट में उपरोक्त वेबसाइट पर डिजिटल साइन के साथ प्रस्तुत करना होगा जिसके प्रस्ताव डिजिटल साइन के साथ नहीं होगें उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाऐगें। कोई भी प्रस्ताव अकेले भौतिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।
10. इलेक्ट्रोनिक बोली प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि बोली प्रपत्रों से संबधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्केन कॉपी बोली प्रपत्रों के साथ अटैच कर दी गयी है।
11. ऑनलाइन बोली निर्धारित दिनांक एंव समय पर खोली जावेगी।
12. बोली के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाइन दर्ज करावें।

कार्यकारी निदेशक(प्रशासन)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

परिवहन मार्ग

निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी वाहनों के यात्री सीट के पीछे (जिनमें निगम द्वारा अनुबन्ध पर ली गई बसें भी शामिल हैं) विज्ञापन प्रदर्शन की बोली हेतु शर्तें:–

1 निगम की लगभग 4000 ब्लू लाइन साधारण एंव द्रुतगामी बसों की यात्री सीट के पीछे निम्न विवरणानुसार विज्ञापन प्रदर्शित करने होगें:–

ग्रेप हेण्डिल को छोडते हुए सीटों के बोल्ट सहित 15′′x 18′′ साइज (अधिकतम्)में सीट बैक पर कुल 41 सीटो (अधिकतम्) पर विज्ञापन लगाये जा सकते है।

2. लाईसेंस की अवधि समाप्ति पर लाईसेंसी को वाहनों की यात्री सीटों पर लगाये गयी समस्त विनायलशीट हटानी होगी तथा पूर्व मूल रंग रोगन व गुणवत्ता का पेंट लाइसेंसी को पन्द्रह दिवस में अपने खर्चे से करना होगा। ऐसा नहीं करने पर अर्थात लाईसेंस अवधि समाप्ति पर समस्त विज्ञापन नहीं हटाये जाते है व निगम द्वारा अपने स्तर पर समस्त विज्ञापन हटवाकर मूल रंग–रोगन करवाया जाता है तो उसमें हुआ समस्त व्यय लाइसेंसी की धरोहर व सुरक्षा राशि/बैंक गारन्टी से वसूल किया जा सकेगा। साथ ही अनुबंध अवधि के पश्चात् विज्ञापन नहीं हटाये जाने पर जब तक विज्ञापन नहीं हटाए जाएंगे तब तक निगम द्वारा लाइसेंस फीस की वसूली की जावेगी।

3. निर्धारित साइज से अधिक विज्ञापन प्रदर्शित करने पर निगम द्वारा विज्ञापन हटा दिये जावेगें अथवा 50/– रूपये प्रतिसीट प्रतिबस प्रतिमाह शास्ति आरोपित की जावेगी ।

4 बोलीदाता/कम्पनी/संस्था/को कम्पनी अधिनियम अथवा आवश्यक कानून के अन्तर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है तथा प्रमाण पत्र की प्रति भी संलग्न करनी होगी। बोलीदाता को विज्ञापन के कार्य का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिये। बोलीदाता/कम्पनी/संस्था(बोली दाता) को जहां पर उसके द्वारा विज्ञापन का कार्य किया गया है उस संस्था/कम्पनी आदि के द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति (कार्यादेश एंव अनुबन्धों की प्रति भी संलग्न करना आवश्यक है) व पिछले तीन वित्तीय वर्ष की आयकर रिटर्न की प्रतिलिपि बोली प्रपत्र के साथ संलग्न करनी होगी। यदि बोलीदाता/कम्पनी/संस्था (बोलीदाता) द्वारा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किये जाते है अथवा प्रदत्त सूचना असत्य और अपूर्ण पाई जाती है *तो इसे अयोग्यता मानते हुए उनके प्रस्ताव (बोली)* को निरस्त/अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

5 बोली के साथ धरोहर राशि 3,50,000 रूपये (अक्षरे तीन लाख पचास हजार मात्र) की डी डी/बैंकर्स चैक के रूप में Financial Advisor RSRTC को देय payable at Jaipur के नाम से संलग्न करनी होगी। चैक एंव नकद राशि किसी भी अवस्था में मान्य नहीं होगी। यह राशि जमा न होने की दशा में बोली स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। यह

राशि प्राप्त बोली पर स्वीकृति हेतु निर्णय होने तक निगम कोष में जमा रहेगी जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अस्वीकृत बोली की राशि बोलियों पर अन्तिम निर्णय होने के उपरान्त ही बिना ब्याज के लौटाई जावेगी।

6 निगम द्वारा जो प्रस्ताव स्वीकार किये जावेगें उन्हें इस आशय की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर–भीतर सुरक्षा राशि के रूप में 3 माह की स्वीकृत /अनुमोदित लाईसेंस फीस के बराबर राशि डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा करानी होगी एंव निगम द्वारा प्रस्तुत अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर अनुबन्ध करना होगा। यह राशि धरोहर राशि रूपये 3,50,000/– के अतिरिक्त होगी तथा यह दोनों राशियां निगम कोष में बिना ब्याज जमा रहेगी, जो अनुबन्ध की शर्तों की समुचित पालना के पश्चात् एंव अनुबन्ध अवधि समाप्त होने पर बिना ब्याज के लौटायी जावेगी। यदि बोलीदाता प्रस्ताव स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस में निर्धारित सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है एंव निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

7 अनुबन्ध अवधि में लाईसेंस शुल्क के नियमित भुगतान हेतु एंव अनुबन्ध पत्र की शर्तों की पूर्ण पालना हेतु लाईसेंसी को अनुबन्ध के प्रारम्भ में 6 माह की लाइसेंस फीस के बराबर राशि की निगम के नाम शिड्यूल बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक की बैंक गारन्टी भी प्रस्तुत करनी होगी जो धरोहर एंव सुरक्षा राशि के अतिरिक्त होगी जो कि अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के बाद चार माह आगे तक प्रभावी होगी। यह बैंक गारन्टी/लाइसेंसी को निगम द्वारा उसके प्रस्ताव स्वीकार किये जाने की सूचना प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर–भीतर प्रस्तुत करनी होगी तथा अनुबन्ध पत्र सम्पादित करना होगा। सुरक्षा राशि एंव बैंक गारन्टी निगम में प्रस्तुत करने एंव अनुबन्ध पत्र निष्पादित करने के पश्चात् ही बोलीदाता को निगम की बसों पर विज्ञापन प्रदर्शित करने हेतु लाइसेंसी नियुक्ति का कार्यादेश जारी किया जावेगा अन्यथा नहीं।

8 कार्यादेश में दर्शायी बसों की संख्या के आधार पर प्रति वाहन प्रतिमाह की निर्धारित दर के अनुसार आंकी गई कुल राशि निर्धारित माह की लाईसेंस फीस कहलायेगी, जिसका भुगतान त्रेमासिक अग्रिम रूप से प्रथम माह की 10 तारीख तक लाईसेंसी द्वारा निगम को किया जावेगा। किसी माह की इन बसों की संख्या में 5 या इससे अधिक प्रतिशत में कमी या बढोत्तरी होने की स्थिति में ही लाईसेंस फीस का पुर्ननिंधारण /अगली त्रेमासिक में समायोजन किया जाएगा तब तक प्रथम बार सूचित की गई बसों की संख्या के आधार पर ही त्रेमासिक लाइसेंस फीस देय होगी।

9 लाइसेंसी निगम द्वारा उपरोक्त निर्धारित वाहनों की संख्या घटने या बढने के लिए किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं करेगा।

10 निगम वाहनों की सीट के पीछे विज्ञापन प्रारम्भ करने के एवज में लाइसेंसी को निगम में अनुबन्ध अवधि में उक्त सूचित की गई वाहनों की संख्या पर निर्धारित दर के अनुसार लाईसेंस फीस जमा करानी होगी। लाईसेंस फीस की दर एक बार लागू होने की तिथी

से एक वर्ष तक वहीं रहेगी तत्पश्चात् प्रत्येक आगामी वर्ष के लिए इस दर में 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि बढोतरी की जावेगी। इन वृद्धि दरों के अनुसार ही लाइसेंसी निर्धारित समस्त वाहनों के लिए लाइसेंस शुल्क जमा करायेगा। यह राशि निगम के कार्यालय मे प्रत्येक त्रेमासिक के प्रथम माह की दस तारीख तक अग्रिम रूप से जमा करानी होगी। इसके पश्चात् लाइसेंस फीस जमा होने पर जमा होने की तिथी तक 500/– रूपये प्रतिदिन शास्ति राशि अतिरिक्त जमा करानी होगी। लाइसेंस फीस अग्रिम जरिये बैंकर्स चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर टी जी एस द्वारा निगम कोष में जमा करानी होगी। निगम का आर टी जी एस नम्बर निम्नानुसार हैः–

Beneficiary	R.S.R.T.C
Account No	677405000011
Beneficiary bank	ICICI Bank Ltd
Beneficiary branch	Parivahan Marg, Jaipur-302001
Beneficiary RTGS Code	ICIC 0006774
Amount to be remitted	

11 लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस फीस निर्धारित तिथी के 15 दिवस तक जमा नहीं कराये जाने पर निगम बिना किसी नोटिस के लाइसेंसी के समस्त विज्ञापन हटा सकेगा तथा विज्ञापन सामग्री आदि जब्त कर सकेगा तथा लाइसेंस रद्द कर सकेगा एंव बकाया राशि धरोहर राशि/सुरक्षा राशि में से वसूल की जा सकेगी। जब्त सामग्री को वसूली हेतु नीलाम करने के लिये निगम स्वतंत्र होगा।

12 लाइसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि व सुरक्षा राशि में से निगम द्वारा किसी क्षतिपूर्ति की वसूली की जाती है तो यह राशि निगम द्वारा जब्त की गई तिथी से 7 दिवस के भीतर–भीतर पुनः जमा करानी होगी अन्यथा लाइसेंस स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

13 लाइसेंसी इस अनुबन्ध को किसी अन्य दूसरे विज्ञापन संस्थान को या व्यक्ति को न तो किराये पर ही देगा और न ही सबलेट/हस्तान्तरण करेगा।

14 स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थाओं अथवा सरकार द्वारा विज्ञापनों पर प्रदाय किये जाने वाले समस्त प्रकार के कर/प्रभार/जी एस टी आदि जमा कराने की जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी। करवंचना के किसी भी मामले में निगम पार्टी नहीं होगा तथा किसी प्रकार के कर/प्रभार/शुल्क/शास्ति आरोपित होने की दशा में समस्त दायित्व लाइसेंसी का होगा। यह राशि लाइसेंसी द्वारा जमा नहीं कराये जाने की स्थिति में लाइसेंसी की जमा सुरक्षा राशि/धरोहर राशि मे से इसका भुगतान कर दिया जावेगा जिसका पुनर्भरण लाइसेंसी द्वारा 07 दिवस के अन्दर–अन्दर करना होगा ।

15 यदि राज्य/केन्द्र सरकार या निगम को अपनी किसी सूचना का प्रदर्शन करने की आवश्यकता हुई तो वह उक्त वाहनों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान के अतिरिक्त स्थान

पर उक्त सूचना का प्रदर्शन कर सकेगें जिसके लिए लाइसेंसी को किसी प्रकार की छूट लाइसेंस शुल्क में से नहीं दी जावेगी।

16 लाइसेंसी के विज्ञापन विनायलशीट किसी भी कारण से (चोरी हो जाने/गिर जाने/जलने/हड़ताल/युद्ध दंगों) होने वाली क्षति का दायित्व लाइसेंसी का होगा तथा इस हेतु निगम द्वारा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति नहीं की जावेगी।

17 मूल अनुबंध अवधि तीन वर्ष समाप्त होने के पश्चात् दोनों पक्षों के मध्य किसी प्रकार का विवाद/न्यायिक प्रकरण एंव लाइसेंस शुल्क बकाया नहीं होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से अंतिम वर्ष के देय लाइसेंस शुल्क में न्यूनतम् 20 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए अधिकतम् 18 माह तक अनुबन्ध का नवीनीकरण किया जा सकता है जिसका निर्णय लेने हेतु निगम स्वतंत्र होगा।

18 लाइसेंसी को बसों पर विनायल शीट पर निर्मित विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होगें।

19 लाइसेंसी किसी भी प्रकार का अश्लील/केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय स्वायत्तशाषी संस्थान एंव निगम द्वारा प्रतिबंधित किसी सामग्री या वस्तु का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकेगा। इसके उल्लंघन पर होने वाली हानि के लिए लाइसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा। लाइसेंसी द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन के कारण किसी भी प्रकार के कानूनी एंव अन्य दायित्व की पूर्ण जिम्मेदारी लाइसेंसी की होगी।

20 बसों की सीटों पर विज्ञापन हेतु उपलब्ध स्थान में यदि बसों की सीटों की डिजाइन या अन्य किसी कारण से कमी/वृद्धि होती है तो इसके लिये दरों में किसी प्रकार का संशोधन निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगा।

21 लाइसेंस अवधि में निगम के पास बिना कारण बताये किसी भी समय लाइसेंसी को 30 दिवस का नोटिस जारी कर अनुबन्ध पत्र निरस्त करने का अधिकार होगा एंव इसकी कोई क्षतिपूर्ति लाइसेंसी को देय नहीं होगी। यदि लाइसेंसी द्वारा अनुबन्ध समाप्त किया जाता है तो उसे लाइसेंस प्रारम्भ होने की दिनांक के एक वर्ष पश्चात् 6 माह पूर्व सूचना निगम को देनी होगी। 6 माह पूर्व सूचना नहीं देने की स्थिति में लाइसेंसी की जमा धरोहर एंव सुरक्षा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

22 लाइसेंसी द्वारा विज्ञापन आगार के मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक(संचालन) की सहमति से वाहनों पर लगाये जावेगें एंव प्रबन्धक(संचालन) से वाहनों पर लगाये गये विज्ञापन पैनल से संबधित बस नम्बर का प्रमाण पत्र लाइसेंसी अपने स्तर से प्राप्त करेगा एंव निगम मुख्यालय को इसकी सूचना देगा।

23 लाइसेंसी को आवश्यकता पड़ने पर बसों की सीटों पर विज्ञापन/विनायलशीट लगाने हेतु कार्यशाला में प्रबन्धक(संचालन) द्वारा रोशनी की व्यवस्था करा दी जावेगी।

24 अनुबन्ध की शर्तों का उल्लघंन करने पर लाइसेंसी का लाइसेंस तुरन्त प्रभाव से समाप्त करने एवं धरोहर राशि तथा सुरक्षा राशि जब्त करने का अधिकार निगम को होगा जिसके लिए नोटिस की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

25 यदि कोई वाहन दुर्घटना/यांत्रिक दोष के कारण संचालन के बाहर रहती है तो लाइसेंसी को लाइसेंस शुल्क में कोई छूट नहीं दी जावेगी तथा लाइसेंसी को सूचित की गई वाहनों की संख्या के अनुसार ही लाइसेंस फीस अदा करनी होगी।

26 निगम द्वारा अनुबन्ध की अवधि में वाहनों पर विज्ञापन करने की सुविधा हेतु लाइसेंसी को 2 अधिकृत व्यक्तियों के लिए निःशुल्क यात्रा पास दिये जावेगें, जो कि द्रुतगामी एंव साधारण बसों के लिए मान्य होगें जिनका उपयोग लाइसेंसी केवल अपने विज्ञापन सम्बन्धी सुविधा के लिए ही करेगा। यदि इसमें किसी प्रकार का दुरूपयोग होना पाया जाता है तो बिना किसी नोटिस के उक्त सुविधा को समाप्त कर दिया जावेगा, इस हेतु लाइसेंसी को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि देय नहीं होगी।

27 लाइसेंसी इस अनुबन्ध अवधि में जब भी चाहे उन्हे उपलब्ध कराई गई वाहनों पर उक्त साइज के विज्ञापन लगा सकेगा एंव हटा सकेगा। लाइसेंसी वाहनों के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा एंव कार्यशाला में वाहन उपलब्धता के समय ही विज्ञापन लगाया जा सकेगा।

28 विज्ञापन/विनायलशीट को उतारने में निगम की वाहनों को किसी प्रकार की क्षति या टूट–फूट/नुकसान होगा तो लाइसेंसी को निगम द्वारा आंकी गई निर्धारित राशि की तुरन्त(15 दिन के भीतर) भरपाई करनी होगी अन्यथा लाइसेंसी द्वारा जमा कराई गई धरोहर राशि/सुरक्षा राशि से उक्त राशि वसूल की जा सकेगी।

29 लाइसेंसी श्रम कानून एंव भविष्य निधी कानून की पूर्ण पालना करेगा। लाइसेंसी द्वारा इस हेतु किसी प्रकार का उल्लघंन किया जावेगा तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

30 वाहने जिस स्थिति में होगी उस स्थिति में विज्ञापन हेतु उपलब्ध करवाई जावेगी जो लाइसेंसधारी को स्वीकार होगी।

31 लाइसेंसी को समय–समय पर निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना करनी होगी।

32 युद्ध दंगे/जन विद्रोह/बन्द/हडताल/तालाबन्दी/यंत्रदोष/बाढ/नेशनल सिक्योरिटी आदि कारणों से परिवहन निगम की बसों के संचालन का निलम्बन या निरस्तीकरण हो जाता है तो लाइसेंसी को आकस्मिक घटना के एवज में किसी प्रकार की छूट या रियायत नहीं दी जावेगी।

33 जिस बोलीदाता के प्रस्ताव को निगम द्वारा स्वीकार किया जावेगा उसे निगम के साथ स्वयं के खर्चे पर 15 दिवस के भीतर एक अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा जिसका प्रारूप निगम द्वारा दिया जावेगा। जो लगभग इन्ही शर्तों के अनुरूप होगा।

34 बोली प्रस्ताव ई–बोली के माध्यम से प्रेषित करने होगें।

35 बोली प्रस्ताव सरल एंव शुद्ध भाषा में हो तथा किसी प्रकार की कांट–छांट न हो प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक/पार्टनर/अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ट हस्ताक्षर होने चाहिये तथा यह भी स्पष्ट किया जाना चाहिये कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर। अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत लिखें साथ ही प्रमाण भी पेश करें।

36 बोलीदाता द्वारा दिये गये कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होगें।

37 किसी भी बोली को स्वीकृत करना निगम के लिए बाध्यकारी नहीं है तथा किसी भी बोली को बिना कारण बताये अस्वीकृत करने का अधिकार निगम को होगा।

38 यदि किसी संस्थान/व्यक्ति/फर्म के विरूद्व निगम की राशि बकाया/विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

39 उक्त बोली प्रक्रिया द्विस्तरीय होगी अर्थात तकनीकी एंवम् वित्तीय बोली अलग–अलग खोली जावेगी । जो बोलीदाता तकनीकी रूप से योग्य पाये जावेगें उन बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली खोली जावेगी ।

40 अनुबन्ध के क्रियान्वयन, शर्तों एंव अनुबन्ध की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए निगम द्वारा गठित स्टैडिगं कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किये बिना एंव उस पर निर्णय पारित हुए बिना वाद किसी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं कर सकेगें। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि निगम की स्टैडिंग कमेटी ही उत्पन्न विवाद का निपटारा/निर्णय करेगी एंव इसके लिए दोनों पक्ष सहमति व्यक्त करते हैं। विवाद का क्षेत्राधिकार न्यायालय जयपुर होगा।

41 संलग्न घोषणा पत्र को भरकर (प्रस्ताव) प्रपत्र के साथ संलग्न करें।

42 मैने उक्त सभी शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ लिया है तथा उक्त सभी शर्तें मुझे स्वीकार्य हैं।

हस्ताक्षर बोलीदाता
मय मोहर